इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375] भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2016—भाद्र 21, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 14811-246-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 सितम्बर 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०१६.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक 6 सितम्बर 2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 12 सितम्बर 2016 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा १६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६ की उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्,—

"परन्तु यह भी कि किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का कोई आदेश या समझौता या ठहराव या समामेलन या पुनर्गठन की किसी योजना को स्वीकृत करने वाला कोई आदेश रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा.".

धारा ६९-क का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६९-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सहकारी बैंक का परिसमापन.

"६९-क. इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) की धारा १३-घ में वर्णित परिस्थितियों में या अन्यथा ऐसा अपेक्षित किया जाए, किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का तत्काल आदेश देगा.".

धारा ६९-ख का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६९-ख में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "बीमाकृत बैंक" के स्थान पर, शब्द "बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपबंध में दो बार आए शब्द "बीमाकृत बैंक" के स्थान पर, शब्द "बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 246-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 25 OF 2016

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 6th September, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th September, 2016.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Co-oprative Societies (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 16.

2. In Section 16 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (2), in the second proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided also that an order for the winding up or an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or reconstruction, of a Co-operative Bank shall be made only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank.".

Substitution of Section 69-A.

3. For Section 69-A of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

Winding up of Co-operative Bank.

"69A. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Registrar shall forthwith make an order for winding up of a Co-operative Bank, if so required by the Reserve Bank of India in the circumstances mentioned in Section 13-D of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961) or otherwise.".

Amendment of Section 69-B.

4. In Section 69-B of the principal Act,—

(i) in the marginal heading, for the words "insured bank", the words "insured bank or transferee bank" shall be substituted;

(ii) in the provision, for the words "insured bank" occurring twice, the words "insured bank or transferee bank" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.